

राजस्थान सरकार
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राजस्थान)

विविध :: 136/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2021/348

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

“आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड”
201- 2012, द्वितीय तल, साउथ
एण्ड स्कवायर, मानसरोवर
इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर
-302020 राजस्थान जरिये
प्राधिकृत अधिकारी श्री छोटू सिंह
राठौड़



1. श्रीमति सुखी देवी पत्नी श्री शंकरलाल बी चौहान
पता- 67, मीनो का वास, एरनपुरा रोड, बलवना, जिला-पाली 306126 राजस्थान।
द्वितीय पता- श्रीमति सुखी देवी फ्लेट नम्बर ई12/एफएफ/7, मेघा आवासीय योजना, फालना, जिला-पाली, राजस्थान।
2. श्री शंकरलाल चौहान पुत्र श्री भूराराम जी लाचाजी चौहान
पता-67, मीनों का वास, एरनपुरा रोड, बलवना, जिला-पाली 306126 राजस्थान।
3. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री नारायणलाल
पता-535, हिरागरो का वास, बीजापुर मार्ग, भाटुन्द, जिला-पाली 306707 राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युरिटीटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

आदेश

दिनांक : 11/11/21

प्रार्थी कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 कम्पनी के ऋणी व बंधककर्ता, अप्रार्थी संख्या 2 सहऋणी तथा अप्रार्थी संख्या 3 जमानती है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी कम्पनी से दिनांक 14.09.2018 को 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवेदन कर ऋण प्राप्त किया तथा ऋणी/जमानती ने उपरोक्त ऋण व उस पर देय ब्याज व खर्चों के लिए अपनी प्रतिभूतिस्वरूप अचल सम्पत्ति जो अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति सुखी देवी के नाम भारमुक्त आवासीय सम्पत्ति फ्लेट नम्बर ई12/एफएफ/7, मेघा आवासीय योजना, फालना, जिला-पाली, राजस्थान पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 325 वर्गफिट है। अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण इकरारनामा व साम्य मूलक बंधक सृजन करने का पत्र आदि दस्तावेजात पर अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किया। अप्रार्थीगण ने ऋण प्राप्त करने के पश्चात ऋणी/जमानती ने ऋण इकरारनामा की शर्तों के अनुरूप ऋण खाते का संचालन नहीं किया, जबकि अप्रार्थीगण को अपने उपरोक्त ऋण खाते का संचालन निष्पादित इकरारनामा के शर्तों के अनुरूप करना था। अप्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व की सम्पत्ति को प्रार्थी कम्पनी के पास जरिये Mortgage by deposit of title deed के बंधक रखा।

अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबन्ध शर्तों के अनुरूप उक्त खाते में लेनदेन नहीं किया एवं इकरारनामा की शर्तों के अनुरूप देय राशि व ब्याज का भुगतान नहीं किया, जो ऋण अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थीगण को उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 21.7.2021 को देकर बकाया राशि मय ब्याज के 1,60,585/- (अक्षरे एक लाख साठ हजार पांच सौ पचयासी रुपये मात्र) व उससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चों के मांग हेतु दिया गया। देय नोशनल ब्याज व खर्चों की मांग की गई लेकिन ऋणी ने प्रार्थी कम्पनी को देय समस्त राशि का भुगतान नोटिस देने के उपरान्त भी नियत अवधि में

विविध :: 136 / 2021 :: "आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड बनाम श्री सुखी देवी वगैरा "

::2::

नहीं किया। अतः अप्रार्थीगण द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूतिस्वरूप बंधक रखे गये स्वामित्व की सम्पत्ति का कब्जा एवं इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का ऋण दिया, उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर के प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में निष्पादित किये। प्रार्थी कम्पनी ने नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किया। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किए गए तथा नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण ने कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय कनार्टक की रिट याचिका संख्या 9694 / 2005 सुनन्दा कुमारी वगैरा बनाम स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक निर्णय दिनांक 23.03.2006 के अनुसार ऋणी को धारा 13 की उपधारा 2 के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात मजिस्ट्रेट को धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः ऋणी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जों में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैं :

14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset - (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him --

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto; and
(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पाली को भेजकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बतौर प्रतिभूति स्वरूप अपने स्वामित्व की सम्पत्ति जो ऊपर वर्णित किया है, के संबंध में थानाधिकारी को निर्देशित करें कि वे उक्त भूमि का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी कम्पनी को संभलाकर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की एक प्रति प्रार्थी कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया।



hura
(अंश दीप)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली